Title: Resentment among OBCs students and applicants due to non-implementation of reservation for OBC's as per Mandal Commission's recommendations in oppointments of teaching and non-teaching staff in Central Universities.

*m01

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक महत्व के तात्कालिक विाय की ओर सरकार का ध्यान आकर्िात करना चाहता हूं। â€¦ (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अनुभवी हैं। मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, देश में 54 परसैंट लोग अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और मंडल कमीशन के तहत उन्हें 27 परसैंट आरक्षण देने का प्रावधान है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक खास तौर पर मानव संसाधन मंत्रालय की नजर में यह बात नहीं आई है। माननीय मंत्री जी इसे दिखवा लें। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के तहत आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी संस्थाएं हैं लेकिन इनमें ओबीसी को जो 27 परसैंट आरक्षण देने का प्रावधान है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ओबीसी के छात्रों के लिए अलग से परीक्षा करने का भी प्रावधान है और अंकों में 5 परसैंट छूट देने का भी प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद आईआईटी, आईआईएम एवं एम्स जैसी संस्थाओं में मंडल आयोग की सिफारिशों का इम्पलीमैंटेशन नहीं हो रहा है जिससे ओबीसी के छात्रों और देश भर के लोगों में काफी असंतोा है। मानव संसाधन मंत्रालय इस मामले को गम्भीरता से ले और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं समरूप संस्थाओं में ओबीसी के छात्रों के लिए, मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है, उसका अनुपालन हो ताकि ओबीसी के छात्र राट्र की मुख्य धारा से जुड़ पाएं। सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेकर कार्रवाई करे।